छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

---0---

:आदेश: रायपुर, दिनांक 24/12/12

क्रमांक एफ 6–31/2012/20–तीन:: राज्य शासन एतद् द्वारा उप सचिव, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति के अनुशंसा के आधार पर **परिशिष्ट A में दर्शित** निजी शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित डिप्लोमा इन एजुकेशन (डी.एड.) पाठ्यक्रम में सत्र 2012–13 में प्रवेश हेतु अंतरिम शुल्क का निर्धारण किया जाता है। यह शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा तब तक लागू रहेगा, जब तक की समिति द्वारा कोई अन्य शुल्क निर्धारित नहीं कर दिया जाता।

निजी संस्थाओं में संचालित डी.एड. पाठ्यक्रम के लिए समिति द्वारा निर्धारित अंतरिम शुल्क (शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क) छ0ग0 के एवं अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए एक समान रूपये 15000/– प्रतिवर्ष प्रति छात्र होगा। इसके अतिरिक्त संस्थाऍ रूपये 1500/– प्रति छात्र एक मुस्त काशन मनी के रूप में अवधान राशि ले सकती है जो वापसी योग्य है।

शुल्क हेतु अन्य निर्देश निम्नानुसार हैः–

1. समिति द्वारा निर्धारित फीस से अधिक फीस लेना अथवा समिति द्वारा निर्धारित मद से अन्य मद में फीस लेना केपीटेशन फीस कहलायेगी एवं दोषी संस्था के उपर शासन के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
2. यह फीस सत्र 2012–13 में प्रवेशित छात्रों के लिए है एवं यही फीस पूरे पाठ्यक्रम की अवधि के लिए लागू रहेगी।
3. सत्र 2012–13 में प्रवेशित छात्रों से यदि किसी संस्था से निर्धारित फीस से अधिक फीस ले ली हो तो उसे छात्र को वापस किया जाए।
4. संस्था द्वारा ट्रान्सपोर्ट शुल्क, छात्रावास शुल्क एवं मेस शुल्क "न लाभ न हानि (no profit no loss) के आधार पर केवल उपयोगकर्ता से लिया जाना है।
5. परीक्षा शुल्क एवं काउंसलिंग शुल्क क्रमशः छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर एवं एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर द्वारा जो निर्धारित किया गया वही लिया जाना है।
6. निर्धारित की गई फीस अधिकतम है। कोई संस्था चाहे तो इससे कम फीस भी ले सकती है।
7. अंतिम फीस का निर्धारण यदि अंतरिम फीस से अधिक होता है, तो अंतर की राशि छात्र को संस्था में जमा करनी होगी एवं यदि कम होता है तो अंतर की राशि संस्था द्वारा छात्र को वापस देय होगी।

(एम.एन. राजूरकर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

--2--

परिशिष्ट "A"

डी.एड. पाठ्यक्रम में संचालित करने वाले निजी शिक्षा महाविद्यालयों की सूची

क्र.	कॉलेज का नाम व पता	सीटों की संख्या
1.	काइस्ट कॉलेज, पेट्रोल पम्प के पास, गीदम रोड, जगदलपुर।	50
2.	डी.पी. विप्र महाविद्यालय, लिंक रोड, बिलासपुर।	50
3.	विश्व भारती इंस्टीट्यूट, विश्व भारती भवन, एस.बी.आई. रोड, कोटा, जिला सुकमा।	50
4.	श्री रावतपुरा सरकार, इंस्टीट्यूट पावर ग्रीड के पास, कुम्हारी, दुर्ग।	50
5.	भिलाई मैत्री कॉलेज, रिसाली सेक्टर भिलाई, जिला दुर्ग।	50
6.	घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय, आर्य नगर, दुर्ग।	50
7.	जी.डी. रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी कोहका, कुरूद रोड भिलाई।	50
8.	राहौद एजुकेशन सोसायटी राहौ, जिला जांजगीर–चांपा।	50
9.	प्रगति महाविद्यालय, सेंट्रल एवेन्यू चौबे कालोनी, रायपुर (छ0ग0)।	50
10.	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड साइंस, कोर्ट भवन के पीछे, गरियाबंद, जिला गरियाबंद।	50
11.	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट धनेली, माना रायपुर–490042।	50
12.	कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेडुका, पोस्ट–दर्री, पेण्ड्रा रोड।	50
13.	जी.एच. रायसोनी कॉलेज, मोवा रायपुर।	100

(एम.एन. राजूरकर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

joshi_Order_All

क्रमांक एफ 6–31/2012/20–तीन, रायपुर, दिनांक 24/7/12

प्रतिलिपिः–

1. महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव, छ0ग0 शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय मंत्रालय, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
4. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ0ग0 शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
5. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, छ0ग0 शासन, मंत्रलाय रायपुर।
6. सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुर।
7. सचिव, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा, विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
8. संचालक, तकनीकी शिक्षा, संचालनालय, रायपुर।
9. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् रायपुर।
10. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर।
11. समस्त संबंधित शिक्षा महाविद्यालय .... को पालनार्थ।
12. जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क विभाग, रायपुर मीडिया में प्रकाशनार्थ एवं प्रचार–प्रसार हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव 24/7/12

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

5732
दिनांक 26.7.12